FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप (फलोदी)

रामलाल पुत्र हरींगाराम वगैरा बनाम ग्राम पंचायत नेवा

स्म मुकदमा 188 आर.टी.एक्ट मु.नं. 137/2025 सन्

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06 25	वादी ने एक अर्द जरिये वकील अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जावे । मिसल दिनांक 18/07/25 को पेश हो ।	

सहायक कलेक्टर, बाप

18/07/2025 फरावली पेश हुई वकील वादी अब। फरावली वास्ते तलबी दिनांक 20/8/25 को पेश हो।

20/8/2025 फरावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वकील NOT PRESS वादी के बाद को जाने बाबत निवेदन किया। वकील वादी के NOT PRESS दाखिल किये जाने बाबत निवेदन पर बाद वापिस जाने NOT PRESS दाखिल किया जाता है। फरावली कैदात शुमार है। नकल से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

20/8/25

सुखराम विजेन्द्र, RAS